

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए [जाति प्रमाण-पत्र]

अनुलग्नक-4

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुं. अंकिता यादव पुत्र/पुत्री श्री ध्रुव सिंह यादव
निवासी ग्राम किशनपुर तहसील मुरैना जिला मुरैना मंडल चम्बल
राज्य म.प्र. में किरार उपजाति के अन्तर्गत आते हैं यह जाति पिछड़े वर्ग हेतु निम्नानुसार है।

1. भारत के असाधारण गजट भाग एक, सेवशन-1-सं. 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 को प्रकाशित संकल्प सं.-12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितंबर, 1993.
2. भारत के असाधारण गजट भाग एक, सेवशन-1-संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
3. भारत के असाधारण गजट भाग एक सेवशन-1-संख्या 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995.
4. भारत के असाधारण गजट भाग एक सेवशन-1-संख्या 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर, 1996.
5. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-129 दिनांक 08 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/68/93-बीसीसी.
6. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-164 दिनांक 01 सितम्बर, 1967 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/12/96-बीसीसी.
7. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-236 दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/99/94-बीसीसी.
8. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-239 दिनांक 03 दिसम्बर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/13/97-बीसीसी.
9. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/12/96-बीसीसी.
10. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/68/93-बीसीसी.
11. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-241 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/68/98-बीसीसी.
12. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-270 दिनांक 06 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/88/98-बीसीसी.
13. भारत सरकार के असाधारण गजट भाग-71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं.-12011/36/99-बीसीसी. तथा बाद में समय-समय पर संशोधित.

श्री कुं. अंकिता यादव और/या उनका परिवार सामान्यतया
ग्राम किशनपुर तहसील मुरैना जिला/मण्डल मुरैना/चम्बल
राज्य म.प्र. में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक एवं ट्रेनिंग विभाग के ओ.एम. संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के कालम तीन में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (कीमीलेयर) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग मुरैना
1233 जारी त्था जाति प्रमाण-पत्र क्रमांक R-1/419/0106/3318/2024
दिनांक 21/06/2024 त्था 11/06/2024 के आधार पर जारी है।
जिलाधिकारी उपायुक्त आदि

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी

- नोट- (क) दी प्रजेन्टेशन ऑफ द पिपुल्स एक्ट 1950 की सेक्शन 20 में अनुविभाग मुरैना शब्द आर्डिनली का भी प्रयोग हुआ है।
(ख) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी निम्नलिखित हैं:
(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी क्लेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/परगना अधिकारी/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के स्तर के नीचे का नहीं।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) के स्तर के नीचे के अधिकारी नहीं।
(iv) सब डिविजनल ऑफीसर (परगना अधिकारी) जहां क्षेत्रीय या अक्षर परिवार निवास करता है।